TT upload

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या —— / III(1) / 18–04(25)रि0या0 / 17
देहरादून, दिनांक 20 अप्रैल, 2018

–कार्यालय आदेश–

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या–814 / एस0एस0 / 2017 संजय कुमार जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में अपने अन्तरिम आदेश दिनांक 02.05.2017 के द्वारा वादी को कनिष्ठ सहायक कम डाटा एन्ट्री आपरेटर की भॉति समान कार्य समान वेतन दिये जाने के आदेश पारित किये गये थे। पुनः अवमानना वाद सं0–564 / 2017 में दिनांक 29.11.2017 को अपने अन्तरिम आदेश के द्वारा अपने पूर्व दिनांक 02.05.2017 के आदेशानुसार कार्यवाही करते हुए चार सप्ताह के भीतर राज्य सरकार को मा0 उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने के निर्देश दिये गये। राज्य द्वारा अन्तरिम निर्णय के विरूद्व प्रतिशपथ पत्र दाखिल करते हुए इसका विरोध किया गया ।

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित अन्तरिम आदेश के विरूद्व वादी के द्वारा पुनः अवमानना वाद सं0–77 / 2018 दायर किया गया जिसके कम में शासन के आदेश संख्या–430 / III(1) / 18–04(25)रि0या0 / 2017, दिनांक 06.04.2018 द्वारा वादी श्री संजय कुमार जोशी को समान कार्य समान वेतन दिये जाने के आदेश इस शर्त के अधीन प्रदान किया गया था कि प्रकरण शासन की सामान्य नीति से किसी प्रकार भी प्रकार से आच्छादित न होने के कारण मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश के अनुपालन में उक्त लाभ दिया जा रहा है, जो उपरोक्त रिट याचिका में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–814 / एस0एस0 / 2017 संजय कुमार जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित अन्तिम निर्णय दिनांक 12.04.2018 के द्वारा याची द्वारा मांगा गया अनुतोष समान कार्य समान वेतन तथा विनियमितीकरण से सम्बंधित रिट याचिका का निस्तारण करते हुए अन्तिम निर्णय दिनांक 12.04.2018 के द्वारा याचिका को खारिज किया गया है।

अतः मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0–814 / एस0 / एस0 / 2017 में पारित अन्तिम निर्णय दिनांक 12.04.2018 के अनुपालन में शासन के आदेश संख्या–430 / III(1) / 18–04(25)रि0या0 / 2017, दिनांक 06.04.2018 द्वारा श्री संजय कुमार जोशी को समान कार्य समान वेतन दिये जाने से सम्बन्धित आदेश को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव

संख्या– 504 / III(1) / 18–04(25)रि0या0 / 17, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, कार्मिक / न्याय / सिचाई उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त / शहरी विकास / खेल उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव